# राजस्व पर्षद, बिहार

## विभागीय परीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

राजस्व पर्षद राजपत्रित पदाधिकारियों के विभागीय परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित कर रही है और एतद् संबंधी सूचना पर्षद की वेबसाईट पर भी डाली जा चुकी है।

गहन चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि नए पाठ्यक्रम को लागू करने के पूर्व पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार वैसी सभी राजपत्रित पदाधिकरियों, जो कि पूर्व में पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार विभागीय परीक्षा में शामिल हुए थे, किन्तु एक अथवा अनेक विषयों में अनुत्तीर्ण रह गए तो उन्हें **एक अंतिम मौका** और दिया जाए ताकि वे अपने लम्बित विषयों को उत्तीर्ण कर सके।

अतः ऐसे सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार वे अभी भी किसी विषय अथवा विषयों में अनुत्तीर्ण हैं तो उसकी सूचना राजस्व पर्षद को निम्न प्रपत्र में भेजे :—

| राजपत्रित पदाधिकारी का नाम | सेवा | राजपत्रित पदाधिकारी का दूरभाष एवं ई–मेल | विषय / विषयों का नाम एवं विषय कोड, जिसमें वे अनुत्तीर्ण रह गए और जिसके लिए वह पुराने पाठ्यक्रम के अनुसार एक अंतिम मौका और चाहते है। | उक्त विषय / विषयों (जिसमें वे अनुत्तीर्ण है) में पिछले तीन विभागीय परीक्षाओं में वह कब शामिल हुए थे (महीना एवं वर्ष) | उक्त परीक्षा में उनका अनुक्रमांक |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

उपरोक्त सूचना मात्र इसलिए माँगी जा रही है कि राजस्व पर्षद इस बात से आश्वस्त रहे कि यह सुविधा मात्र उन्हीं पदाधिकारियों को दी जा रही है जो पूर्व में किसी विभागीय परीक्षा में शामिल हुए थे किन्तु अनुत्तीर्ण रह गए। यह सुविधा उन पदाधिकारियों के लिए नहीं है जो कभी भी उस विषय की परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए।

उक्त सूचना राजस्व पर्षद को उपरोक्त प्रपत्र में ई–मेल अथवा फैक्स के माध्यम से दिनांक 10.08.2017 तक भेज दिए जाए।

**फैक्स – 0612–2215677, 2215254**

**ई–मेल – boardofrevenuebihar@gmail.com**

ऐसे सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि यदि वह इस अंतिम मौके का लाभ नहीं लेते है या इस अंतिम मौके में भी अनुतीर्ण रह जाते है तो उन्हें नए पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों में विभागीय परीक्षा देनी होगी।

Rajesh
27/7/17
सचिव
राजस्व पर्षद, बिहार

27/07/17